निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 ज्येष्ठ 1938 (श0)

(सं0 पटना 420) पटना, सोमवार, 30 मई 2016

सं० 08/आरोप–01–103/2014–3964 सा.प्र.

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

15 मार्च 2016

श्री राधा बिहारी ओझा, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–28/08, तत्कालीन निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कैमूर, भभुआ के विरूद्ध अनाधिकृत रूप से कनीय अभियंता को नासरीगंज में प्रतिनियुक्त करने, एक माह तक चेक को हस्ताक्षर हेतु उप विकास आयुक्त को उपस्थापित नहीं करने, लॉग–बुक में जालसाजी कर सरकारी वाहन एवं ईधन का दुरूपयोग करने, मुख्यालय से बिना अनुमति बाहर रहने इत्यादि से संबंधित आरोप प्रपत्र 'क' जिला पदाधिकारी, कैमूर के पत्रांक–06, दिनांक 06.03.2002 द्वारा प्राप्त हुआ। प्राप्त आरोप प्रपत्र 'क' के आधार पर श्री ओझा से विभागीय पत्रांक–5873, दिनांक 25.07.2002 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री ओझा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, कैमूर से मंतव्य की माँग पत्रांक–1333, दिनांक 14.02.2004 द्वारा की गयी। जिला पदाधिकारी, कैमूर ने अपने पत्रांक–1450, दिनांक 21.04.2007 द्वारा श्री ओझा के स्पष्टीकरण को अस्वीकार योग्य होने का मंतव्य दिया। तत्पश्चात विषयांकित प्रकरण के वृहद जाँच हेतु विभागीय जाँच आयुक्त के संचालन में संकल्प ज्ञापांक–5719, दिनांक 23.05.2011 द्वारा श्री ओझा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इस बीच श्री ओझा के दिनांक 31.07.2011 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उक्त विभागीय कार्यवाही को संकल्प ज्ञापांक–19078, दिनांक 16.12.2013 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी०) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय कारण पृच्छा प्राप्त किया गया। प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर को संतोषजनक नहीं पाते हुए बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्शोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1802, दिनांक 02.02.2015 द्वारा श्री ओझा को निम्न दंड संसूचित किया गया :–

1. पेंशन से पाँच प्रतिशत की कटौती मात्र एक वर्ष तक के लिए

उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री ओझा द्वारा अभ्यावेदन पत्रांक–शून्य दिनांक 01.09.2015 समर्पित किया गया। श्री ओझा ने मूल रूप में अंकित किया कि आरोप सामान्य किस्म के थे फिर भी जब वे सेवानिवृत्त होने वाले थे उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी। श्री ओझा ने संसूचित दंडादेश के विरूद्ध ऐसा एक भी तर्क नहीं दिया है, जिससे वे सिद्द कर सके की उनके विरूद्ध लिये गये निर्णय वापस लेने पर विचार किया जा सके। श्री ओझा द्वारा बगैर किसी तथ्य एवं साक्ष्यों के पुनर्विचार आवेदन दाखिल किया गया।

श्री ओझा से प्राप्त आवेदन को सम्यक् विचारोपरांत अस्वीकृत करने का निर्णय लिया जाता है।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

केशव कुमार सिंह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 420-571+10-**डी0टी0पी0।**

Website: http://egazette.bih.nic.in